मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

विकासखंड अधिकारी के पदोन्नति रक्षित पदों की सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2016/ 22.03.2016
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07.05.2016

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि तथा समय
28.08.2016 दोपहर पश्चात 2:00 बजे से 4:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक** 08.04.2016 **(दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक** 07.05.2016 **(रात्रि 12:00 बजे) तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

दूरभाष :- 0731-2702689
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

2- **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में** 15.04.2016 **से** 09.05.2016 **तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।**

3- **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा ।**

4- **इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक** 28.08.2016 **को इंदौर तथा भोपाल स्थित निर्धारित केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक** 06.08.2016 **से** 26.08.2016 **तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध होंगें ।**

5- **विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा । अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे।**

6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक विकास खंड अधिकारी के पदोन्नति रक्षित पदों की विकास विस्तार अधिकारी/ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर कार्यरत अर्हताधारक अभ्यर्थियों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम :- विकास खंड अधिकारी (Block Development Officer) रिक्ति विवरण					
रिक्ति का स्वरूप	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या			
		अना	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.
पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्तियां	71	36	11	14	10

दो **पद का विवरण**

(A) **विभाग का नाम** : मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक

(C) **पद स्थिति** : अस्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 9300-34800+3600 ग्रेड पे

(E) **कर्तव्य** : **सामान्य:**

1. जब तक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आँय व्यवस्था न की गयी हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अवकाश आदि के कारण अनुपस्थिति में उसके सामान्य कर्तव्यो का निर्वाह करना।
2. प्रभारी अधिकारी:- स्थापना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्रामीण आवास योजनाएं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सौपे गए अन्य कार्यों के प्रभारी अधिकारी।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नियंत्रण में रहकर उनके निर्देशानुसार ऐसे समस्त कार्य करना जो उन्हें सौपे जायें।
4. सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के कारी का निर्धारित रोस्टर के मुताबिक निरीक्षण, समय-समय पर पर्यवेक्षण तथा वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र के लोमगों की शिकायतों का निराकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत तथा उपखंड स्तरीय शिविरोम के सुचारु संचालन की व्यवस्था में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहयोग देना तथा त्रि-स्तरीय व्यवस्था से संबन्धित पत्रक तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना।
6. ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये गए कार्यों से संबन्धित ग्रांट-इन-एड (अनुदान) पणजी का संधारण एवं उसे अद्यतन करना।
7. वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने में ग्राम पंचायतों एवं सहायक विस्तार अधिकारी को सलाह एवं सहयोग देना।
8. ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की प्रगति से संबन्धित मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक प्रतिवेदन संकलित कर जिला पंचायत को भिजवाना।
9. इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण आवास ऋण सह अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यों में कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का वर्ष में एक बार निरीक्षण तथा कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का निर्माण के उपरांत भौतिक सत्यापन करना।

10. सरपंचों तथा अन्य पदाधिकारियों/ कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि की जानकारी पंचायत निरीक्षक को उपलब्ध कराना।

12. शासकीय विभागों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता मजदूरी के भुगतान आदि के संबंध में स्थानीय पूंछताछ के आधार पर स्थिति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समय-समय पर अवगत कराना।

(2) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

1. सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को स्व-सहायता समूहों का गठन एवं विकास में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाहन करना।
2. विकास खंड स्तरीय परामर्श समिति की बैंकों के साथ नियमित तौर पर बैठकें आयोजित कर बैठकों का कार्यवाही विवरण रजिस्टर में संधारित करना एवं बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना।
3. बैंकों को दिये गए अग्रिम का सामी पर समायोजन सुनिश्चित करना।

(F) **पद का नाम** : **विकास खंड अधिकारी**
Block Development Officer

(G) **अनिवार्य अर्हता** :

(i) **शैक्षणिक अर्हता** — **किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि**

(ii) **अनुभव** — **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत अधिकारी जिन्होने :-**

विकास विस्तार अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अथवा

सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(H) **विशेष** : (1) जिन अभ्यर्थियों के ऊपर वर्तमान में दंड प्रभावशील है वे उक्त पदों हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगें।

(2) जिन अभ्यर्थियों के ऊपर विभागीय जांच संस्थित है वे पद हेतु आवेदन कर सकेंगें परंतु चयन प्रक्रिया में सफल होने पर उन्हें प्रावधिक रूप से चयनित किया जाएगा तथा वे तभी नियुक्ति हेतु पात्र होंगें यदि विभागीय जांच में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उन्हें पूर्णतः निर्दोष मान्य करते हुये विभागीय जांच समाप्त की जाती है।

तीन (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।**

पांच महत्वपूर्ण :- **यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।**

छः अधिवार्षिकी आयु :- **60 वर्ष**

सात चयन प्रक्रिया :-

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, इस प्रकार उनके लिये ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर /SMS/ आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा ।

(5) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(7) **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूंछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-

   (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।

   (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 **देखें।**

आठ ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	शहर
01	इंदौर
02	भोपाल

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में दोनों शहर केंद्र चुन सकते है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि

से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नौ प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **06.08.2016** से **26.08.2016** तक आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगें । अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त वेबसाइट्स से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगें। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।

फोटो पहचान-पत्र :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक है । विभाग द्वारा जारी परिचय-पत्र के अभाव में आयोग द्वारा निम्न फोटोयुक्त परिचय-पत्र भी मान्य किए गए है जिनकी मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक है :-

1	पासपोर्ट	5 आधार कार्ड (फोटोकापी मान्य)
2	मतदाता पहचान पत्र	6 फोटो सहित बैंक पास-बुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	7 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
4	पैन कार्ड	

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु <u>परिशिष्ट -2</u> का अवलोकन करें।

ग्यारह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां <u>परिशिष्ट -1</u>

(ii) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश <u>परिशिष्ट-2</u>

(iii) ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम <u>परिशिष्ट-3</u>

<u>सचिव</u>

<u>ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी</u>

1- विकास खंड अधिकारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mppsc.com
2. www.mppsc.nic.in
3. www.mppscdemo.in

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **<u>उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u>** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.04.2016 से 09.05.2016 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। <u>विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।</u>

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही अभ्यर्थी को वापस किया जायेगा :-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07.05.2016 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- 0731-2702689

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विहित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।**

5- अभ्यर्थियों को यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासण को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को विभाग से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

परीक्षा पूर्व निर्देश

1- परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक नम्बर गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (ONE TIME PASSWORD)/टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी) /वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

2- परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

3- परीक्षार्थियों हेतु निम्न टोल फ्री हेल्प लाईन तथा ई–मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी :–

हेल्प लाईन नम्बर – **0731-2702689**

ई–मेल – **mppsconline@gmail.com**

4- आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

5- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

6- परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

7- निःशक्त परीक्षाथियों को सहलेखक की पात्रता होगी, सहलेखक की शैक्षणिक योग्यता अधिकतम इंटरमीडिएट (10+2) होगी एवं उन्हें परीक्षा में प्रश्नपत्र हल किये जाने हेतु निर्धारित समय के अतिरिक्त 40 मिनिट का समय दिया जायेगा, इस हेतु परीक्षार्थी केन्द्राध्यंक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें । सहलेखक की व्यवस्था परीक्षार्थी स्वयं करेगा एवं कैंद्राध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करेगा। आयोग द्वारा सहलेखक को किसी भी प्रकार के मानदेय/यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

8- परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जॉच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बॉयोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दॉये हाथ का अंगूठा, दॉये हाथ का अंगूठा न होने पर बॉये हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर वॉये/दॉये हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे

का वेरिफिकेशन) किया जावेगा ।

9- परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस/ वीक्षकों द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर ए सकते है। चेहरे को ढकने वाला स्कार्फ, रूमाल, दुपट्टा या अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु वर्जित होगी। एसेसरीज़ जैसे हेयर क्लिप, क्लचर, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वालेट, टोपी इत्यादि वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के आभूषण का सूक्ष्मता से परीक्षण व तलाशी ली जायेगी।

10- **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र की मूल प्रति प्रवेश-पत्र के साथ लाना आवश्यक है। विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र के अभाव में** आयोग द्वारा निम्न फोटो आई–डी कार्ड **भी** मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई–डी की फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी :– **(केवल आधार कार्ड की फोटोप्रति मान्य होगी)**

1) मतदाता परिचय पत्र
2) आधार कार्ड **(फोटोकापी मान्य)**
3) ड्राईविंग लायसेंस
4) पेन कार्ड
5) पासपोर्ट
6) फोटो सहित बैंक पासबुक
7) अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11- सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12- आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13- रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलॉट किये जावेगे।

14- ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15- परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16- परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लॉग इन कर सकेंगे ।

17- परीक्षार्थी द्वारा लॉग इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page/ Symbol page display होगा ।

18- परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर मॉडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माऊस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/ तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत करेंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

19- परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20- प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बॉये/दॉये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

21- परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे समय कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22- परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23- **परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।**

24- यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

25- अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26- परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं माडल उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई–मेल आई–डी पर भेजी जावेगी ।

27- मॉडल ऑसर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

28- परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी प्रश्नपत्र से संबंधित अपने Objections 7 दिवस की अवधि में अपना नाम, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑन लाईन भेज सकेंगे।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

विकास खंड अधिकारी सीमित परीक्षा –2016

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(1) परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना तथा पाठ्यक्रम :–

ऑनलाइन परीक्षा		अंक	समय
भाग–1	सामान्य ज्ञान तथा मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी	80	2 घंटे
भाग–2	पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	120	
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	200	
साक्षात्कार		25	
	कुल अंक	225	

(ब) प्रश्न–पत्र योजना :

(1) ऑनलाइन परीक्षा में भाग–1 से कुल 40 प्रश्न तथा भाग–2 से कुल 60 प्रश्न पूंछे जायेंगें । प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा । इस प्रकार परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होगें तथा उसका पूर्णांक 200 होगा ।

(2) प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार का होगा । प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A, B, C, D) होंगें । ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी को सही उत्तर विकल्प का चयन करना होगा

(3) प्रश्न–पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा ।

(स) ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्णांक :

ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है 10% अंको की छूट होगी तथा उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा ।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे । साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगें ।

(फ़) चयन विधि :–

अंतिम चयनफ़ल, ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा ।

(2) पाठ्यक्रम

भाग–1– सामान्य ज्ञान तथा मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी

1. समसामयिक घटना चक्र
2. मध्य प्रदेश के विषय में सामान्य ज्ञान

भाग–2– पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं सामान्य जानकारी

1. पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं (यथा एन. आर. ई. जी. एस, आर. जी. एस./आई. डब्ल्यू. एम. पी., एम. डी. एम., एस. बी. एम. (टी.एस.सी.) एन.आर.एल.एम., एस.आर.एल.एम., आवास योजना एवम आइ.ए.वाय. इत्यादि) से सम्बन्धित प्रश्न ।
2. पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 से सम्बन्धित प्रश्न